न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 06/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00029

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. पीथाराम पुत्र गोमाराम, जाति मेघवाल, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, जवाई बांध, पाली		1. ग्राम सेवा सहकारी समिति गलथनी जरिये अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति गलथनी, ग्राम पंचायत ऐरनपुरा, तहसील सुमेरपुर 2. ग्राम पंचायत ऐरनपुरा जरिये सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 20/2/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 जो ग्राम पंचायत ऐरनपुरा द्वारा पारित किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत ऐरनपुरा का दिनांक 10.03.2015 से सम्बन्धित प्रस्ताव रजिस्टर तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत एरनपुरा के खसरा नम्बर 174 पर प्रार्थी का संवत 2055 के पूर्व से कब्जा है इसके समर्थन में संवत 2055 से 2064व 2066, तथा 2067 की खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रतियो की फोटो प्रतिया पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का मौके पर कब्जा था बाद में प्रार्थी का रहा प्रार्थी इसका उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त खसरा नंबर 174 की भूमी को गैर मुमकीन आबादी भूमी उपखण्ड अधिकारी द्वारा संवत 2069 सन् 2012 में दर्ज हुई। प्रार्थी का वहां बाड़ा छपरा बना हुआ है व पत्थर पड़े है। प्रार्थी के उक्त आराजी से बेदखल नहीं किया गया। एवं आबादी घोषित होने के बाद प्रार्थी के हक में नियमानुसार पट्टा जारी नहीं कर ग्राम सेवा सहकारी समिति गलथनी को निःशुल्क भूमी आवंटन कर प्रस्ताव ले लिया गया। प्रार्थी का वर्ष 2055 से आज तक की खसरा परिवर्तनशील अनुसार दस्तावेजी सबूत के आधार पर बाडा है व कब्जा है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समिति हेतु गोदाम बनाने का प्रस्ताव लेने की स्थिति में ही नहीं है अतः प्रस्ताव विधी के प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी को उक्त भूमी आबादी में लेने से पूर्व भी नहीं सुना गया तथा पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 लिया तब भी नहीं सुना गया न नोटिस ही जारी किया गया। प्रार्थी के पंचायत में पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी कार्यवाही नही की गई पट्टा हेतु निःशुल्क 120/रूपये भी पंचायत में जमा कराये गए फिर भी पट्टा जारी करने की कार्यवाही न कर ग्राम सेवा सहकारी समिति के पक्ष में जैर निगरानी प्रस्ताव गोदाम निर्माण हेतु लिया गया जो निरस्तनीय है। प्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर सेटल्ड पजेशन था उसे बिना हटाये, अतिक्रमी बताने हेतु जो प्रस्ताव लिया गया वह निरस्तनीय है जबकि ग्राम पंचायत को इस प्रकार का प्रस्ता[illegible] करने का अधिकार ही नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी [illegible] का टाईटल नहीं दिया गया न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:53:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

न मिसल कायम की गई न पंचायत नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई न बयान लिए न कब्जा बाबत जांच ही की गई तथा कब्जा नहीं होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को नोटिस भी जारी किया गया है। विवादित भूमी पर राजकीय निधी व्यय कर भवन निर्माण नही किया जा सकता है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क भूमी आवंटन का प्रस्ताव लिया गया एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति गलथनी द्वारा भवन निर्माण राजकीय निधी से निर्माण नहीं किए जाने के प्रावधान होने से जैर निगरानी प्रस्ताव निरस्तनीय होने से जैर निगरानी प्रस्ताव निरस्तनीय है। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 10.03.2015 को निरस्त फरमाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा परिपत्र प6(6)राज. 6/92/8 दिनांक 05.07.2003 एवं F 16 42 राज./ख/58/ग्रुप/ दिनांक 24.04.1961 पेश किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का अतिक्रमंण ग्राम बलवाना के खसरा नंबर 174 की भूमी पर रहा यह खसरा परिवर्तनशील से स्पष्ट हे लेकिन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा आबादी घोषित करने के आदेश क्रमांक–राजस्व/प्र.गां.के संग/2010/5 दिनांक 11.11.2020 जारी किए गए तथा उक्त आराजी का कब्जा ग्राम पंचायत को सौंपने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को आदेश देते हुए राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर तरमीम कर नक्शा मय जमाबन्दी के साथ उनके कार्यालय में पेश करने के आदेश जारी किए गए है उक्त समस्त कार्य तहसीलदार सुमेरपुर की अनुशंषा पर किया गया तथा कब्जा सोंपते ही भूमी पंचायत के हक अधिकार की हो गई। तभी पंचायत द्वारा जैर निगरानी प्रस्ताव ग्राम पंचायत ऐरनपुरा द्वारा पंचायत कोरम में लिया जाकर प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 के अनुसार भूमी का ग्राम सेवा सहकारी समिति को बीज गोदाम बनाने के लिए आवंटन की गयी उसमें पीथाराम के द्वारा किए गए अतिक्रमण का उल्लेख है अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के नाम खसरा परिवर्तन है जो किसी प्रकार का स्वामित्व का अधिकारिक दस्तावेज नहीं है तथा उसे सात भूखण्डों पर काबिज होना बताया है तथा उक्त प्रस्ताव के पश्चात ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा दिनांक 28.07.2016 के प्रस्ताव संख्या 2 के जरिए पुलिस की मदद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर भूमी प्रदान की गई तत् पश्चात 28.07.2016 को भी इस बाबत प्रस्ताव लिया गया तथा जरिये पत्रांक ग्रा.प./2016/489 दिनांक 22.02.2016 के सरपंच ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा भवन निर्माण स्वीकृती प्रदान की गई। एवं मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2012–13 की क्रियान्विती के क्रम में उक्त भूमी में मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गोदाम निर्माण व चार दिवारी निर्माण किया गया है वर्तमान फोटो भी वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश करते हुए वकील अप्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्ताव को यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी भूमी आबादी भूमी है जिसके निःशुल्क आवंटन बाबत प्रस्ताव लिया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जरिये आदेश क्रमांक–(राजस्व) प्र. गावो के संग/2010/5 दिनांक 11.11.2010 के द्वारा आबादी घोषित की जाने पर ग्राम पंचायत एरनपुरा के नाम दर्ज हुई है। तथा उसके बाद से ही ग्राम पंचायत एरनपुरा उक्त भूमी को निःशुल्क ग्राम सेवा सहकारी समिति को आवंटित करने को अधिकृत है सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं जो प्र[illegible] प्रार्थी को अतिक्रमी माना गया है। तथा पंचायत द्वारा पंचायत के कोरम [illegible] संख्या 3 दिनांक 10.03.2015 पारित कर ग्राम सेवा सहकारी [illegible] भूमी आवंटन किया गया है तथा प्रार्थी का अतिक्रमण [illegible] रानी आराजी पर तथा ग्राम सेवा सहकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..................3

समिति द्वारा भवन निर्माण स्वीकृती ली जाकर मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विती के क्रम में निर्माण भी करा दिया है वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिपत्र इस प्रकरण में पूर्ण रूप से विचारण योग्य नहीं है। न ही इनकी पालना में कार्यवाही हुई है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 3/10.03.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:53:03 IST
Reason: SelfAttested